न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

अपील संख्या : 2020/00049

विमला शर्मा पत्नी श्री दुर्गाशंकर शर्मा आयु 68 वर्ष जाति ब्राह्मण निवासी ग्राम देलून्दा (भोपत) पोस्ट नोताडा (भोपत) तहसील तालेडा जिला बून्दी जरिये मुख्तार खास विजय कुमार शर्मा पुत्र दुर्गाशंकर शर्मा आयु 44 वर्ष जाति ब्राह्मण निवासी ग्राम देलून्दा (भोपत) पोस्ट नोताडा (भोपत) तहसील तालेडा जिला बून्दी ।

———अपीलान्ट

बनाम

1. नन्दकिशोर पुत्र भवाना ।
2. शिवदयाल पुत्र भवाना (मृतक) जरिये कायकमुकामान :–
   2/1. घीसीं बाई पत्नी स्व0 शिवदयाल ।
   2/2. बृजमोहन पुत्र स्व0 शिवदयाल ।
   2/3. बिरधीलाल पुत्र स्0 शिवदयाल ।
3. ग्यारसीलाल पुत्र भवाना ।
4. बाबू पुत्र भवाना ।
5. पप्पू पुत्र भवाना ।
6. धन्ना (मृतक) पुत्र रामचन्द्र जरिये कायममुकामान :–
   6/1. भूरी बाई बेवा स्व0 धन्ना ।
7. प्रहलाद पुत्र धन्ना
8. हीरा पुत्र रतना
9. देवीकिशन पुत्र रतना
10. महावीर पुत्र रता जाति काछी निवासीगण ग्राम देलून्दा (भोपत) पोस्ट नोताडा (भोपत) तहसील तालेडा जिला बून्दी ।
11. स्टेट ऑफ राजस्थान जरिये तहसीलदार तहसील तालेडा जिला बून्दी ।

———रेस्पोडन्ट

उपस्थित :– 1. श्री विजय सिंघल, अभिभाषक, अपीलान्ट की ओर से ।

निर्णय दिनांकः 28.07.2021

1. अपीलान्ट द्वारा उक्त अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, तालेडा जिला बून्दी द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 10.01.2020 के विरूद्ध पेश की गई है ।

2. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार से हैं कि वादिनी अपीलान्ट ने अधीनस्थ न्यायालय में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 188 एवं 92ए के अन्तर्गत वाद प्रस्तुत कर कथन किया कि ग्राम देलून्दा तहसील एवं जिला बून्दी में खसरा नम्बर 1277 रकबा 03 बीघा 06 बिस्वा भूमि स्थित है । उक्त भूमि वादिनी के खाते एवं कब्जे काश्त की भूमि है । उक्त भूमि वादिनी ने जरिये पंजीकृत विक्रय पत्र दिनांक 21.04.2004 के द्वारा जगदीश पुत्र लक्ष्मीनारायण से क्रय की थी । वादिनी द्वारा अपनी उक्त आराजी के बाबत् अपनी ओर से हर प्रकार के कार्य व कार्यवाहियॉ करने हेतु अपने पुत्र विजय शर्मा को अपना मुख्तारखास नियुक्त किया हुआ है । वादिनी की उक्त आराजी के पूरब में रास्ता तथा दक्षिण में वादिनी के पति दुर्गाशंकर के खाते की आराजी खसरा नम्बर 1279 स्थित है । प्रतिवादीगण वादिनी की आराजी के दक्षिणी पूर्वी कोने पर 10 X 7 वर्गफुट का चबूतरा बनाने पर आमादा हैं जिसका उन्हें कोई अधिकार नहीं है । प्रतिवादीगण ने दौराने वाद चबूतरा का अवैध निर्माण करवा लिया है जिसे ध्वस्त कर पूर्ववत स्थिति बहाल किया जाना आवश्यक है ।

3. अतः वादिनी का वाद स्वीकार किया जाकर प्रतिवादीगण के विरूद्ध इस आशय की डिक्री पारित की जावे कि प्रतिवादीगण वादिनी की आराजी खसरा नम्बर 1277 पर किसी प्रकार का कोई निर्माण कार्य नहीं करें न ही वादिनी की उक्त आराजी पर चबूतरे का निर्माण करें, वादिनी को उसके शांतिपूर्वक कब्जे काश्त में हस्तक्षेप नहीं करें । उक्त कृत्य न तो स्वयं प्रतिवादीगण करें और न ही अपने किसी प्रतिनिधि से करावें । यदि दौराने वाद प्रतिवादीगण द्वारा चबूतरे का निर्माण कर लिया है तो उसे ध्वस्त कर पूर्व की स्थिति बहाल की जावे ।

4. अधीनस्थ न्यायालय ने अपने निर्णय दिनांक 10.01.2020 के द्वारा वाद वादिनी स्वीकार कर डिक्री कर दिया ।

5. अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 10.01.2020 से व्यथित होकर वादिनी अपीलान्ट ने न्यायालय हाजा में अपील प्रस्तुत कर कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय में धारा 92 ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के अन्तर्गत वांछित अनुतोष संख्या 2 एवं 3 ए प्रदान नहीं करने की हद तक परिवर्तित किये जाने योग्य है । अधीनस्थ न्यायालय ने वादिनी की ओर से प्रस्तुत लिखित बहस का भी कोई उल्लेख अपने निर्णय में नहीं किया है । अधीनस्थ न्यायालय ने वादिनी द्वारा प्रस्तुत सम्पूर्ण दस्तावेजात का भी उल्लेख नहीं किया है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय को परिवर्तित किया जावे । अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जावे ।

6. अपील अपीलान्ट दर्ज रजिस्टर की गईं । अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई । रेस्पोडेन्ट बावजूद सूचना के उपस्थित नहीं आने से अपीलान्ट के लायक विद्वान् अभिभाषक की एकपक्षीय बहस सुनी गई ।

7. अपीलान्ट के लायक अधिवक्ता ने अपनी बहस में अपील मीमो में कहे गये कथनों को दोहराते हुए निवेदन किया कि वादिनी के द्वारा परीक्षण न्यायालय में धारा 188 एवं 92ए के तहत एक दावा पेश किया गया था और उसमे यह कथन किया गया था कि वादिनी की आराजी खसरा नम्बर 1277 पर अवैध एवं अनाधिकृत रूप से चबूतरे के निर्माण हेतु खोदी गई नीवें प्रतिवादीगण स्वयं के खर्चे से भरकर पूर्व की स्थिति बहाल करें । साथ ही यह भी प्रार्थना की थी इस आराजी पर अवैध रूप से निर्मित चबूतरे को तुडवाकर पूर्व की स्थिति को बहाल करवाएं और प्रतिवादीगण क्रम 1 लगायत 10 के द्वारा चबूतरे को ध्वस्त नहीं करने पर

प्रतिवादी कम 11 इस निर्माण को प्रतिवादी कम 1 लगायम 10 के खर्चे से तुडवाये । परन्तु अधीनस्थ न्यायालय ने धारा 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की ही सहायता प्रदान की है। प्रतिवादीगण के द्वारा कोई जवाबदावा प्रस्तुत नहीं किया गया । इनके खिलाफ एक तरफा कार्यवाही की गई इसके उपरान्त 2000/– रूपये के हर्जे पर उनको जवाबदावा पेश करने की अनुमति दी गई परन्तु न तो उनके द्वारा जवाबदावा पेश किया गया और न ही कोस्ट अदा की गई। परीक्षण न्यायालय द्वारा अपीलान्ट को पूर्ण सहायता प्रदान नहीं की गई है । अतः चबूतरे के बाबत् अपील में अपीलान्टगण को सहायता प्रदान की जावे ।

8. हमने पत्रावली का अद्योपान्त अवलोकन किया एवं अपीलान्ट के विद्वान् अभिभाषक की एकपक्षयी बहस पर मनन किया । अधीनस्थ न्यायालय में वादिनी के द्वारा धारा 188 एवं 92ए के तहत एक दावा पेश किया गया था । दावे के समर्थन में प्रदर्श– 1 मुख्तारनामा है, प्रदर्श–2 नक्शा ट्रेस की प्रमाणित प्रति है और प्रदर्श– 3 नकल जमाबन्दी संवत् 2067–70 संलग्न हैं ।

9. पत्रावली पर बयान वादिनी विमला शर्मा पीडब्ल्यू–1 कराये गये है।

10. परीक्षण न्यायालय में दावा वादिनी डिक्री करते हुए प्रतिवादीगण को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया गया है वादी अपीलान्ट का यह कथन है कि धारा 92ए के तहत प्रतिवादीगण के द्वारा जो अवैध रूप से चबूतरे का निर्णय वादी की आराजी में करवा दिया गया है इसको ध्वस्त करने के बाबत् कोई आदेश नहीं दिये हैं । वादिनी के द्वारा परीक्षण न्यायालय में कोई स्वतंत्र गवाह पेश नहीं किया गया है । दस्तावेजी साक्ष्य में मुख्तारनामा और जमाबन्दी पेश की है । ऐसा दस्तावेजी साक्ष्य पेश नहीं की गई है जिससे यह प्रमाणित हो कि प्रतिवादीगण ने उनके खाते की आराजी में चबूतरा का निर्माण कर लिया है । इन तथ्यों के आधार पर हम यह उचित समझते हैं कि तहसील से पक्षकारान की उपस्थिति में एक मौका रिपोर्ट प्राप्त की जाकर मौका रिपोर्ट पर पक्षकारान को सुनवाई का अवसर प्रदान करते हुए नये सिरे से विधि सम्मत रूप से निर्णय पारित किया जाना हम उचित समझते हैं ।

11. अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 10.01.2020 निरस्त किया जाता है । प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को इन दिशा–निर्देशों के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि तहसील से पक्षकारान की उपस्थिति में एक मौका रिपोर्ट प्राप्त कर मौका रिपोर्ट पर पक्षकारान को सुनवाई का अवसर प्रदान करते हुए नये सिरे से विधि सम्मत रूप से निर्णय पारित करें । पक्षकारान को पाबन्द किया जाता है कि वे दिनांक 20.09.2021 को अधीनस्थ न्यायालय में उपस्थित हों ।

12. निर्णय आज दिनांक 28.07.2021 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

28/7/2021

(भागवंती जेठवानी)
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा